न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—52 / 2023 (2023 / 166)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
खम्मूराम पुत्र भाणाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. जोराराम पुत्र श्रीराम 02. पुनाराम पुत्र श्रीराम 03. पारी पत्नि श्रीराम 04. बाबूराम पुत्र श्रीराम 05. भेपाराम पुत्र श्रीराम 06. भागीरथ पुत्र श्रीराम 07. स्व. सुरजाराम पुत्र हमीरराम के वारिसान 07 / 01. छोटा देवी पत्नि स्व. सुरजाराम 07 / 02. श्रवणराम पुत्र स्व. सुरजाराम 07 / 03. भागीरथ पुत्र स्व. सुरजाराम 07 / 04. प्रदीप पुत्र स्व. सुरजाराम 07 / 05. शिवरी पुत्री स्व. सुरजाराम 07 / 06. निरमा पुत्री स्व. सुरजाराम 07 / 07. मंगली पुत्री स्व. सुरजाराम 07 / 08. हीरा पुत्री स्व. सुरजाराम सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर। 08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : —

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थिति नहीं।

दिनांक :— 02-6-25

—: आदेश :—

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 219 रकवा 0.9712 हैक्टयर, खसरा नम्बर 219 / 3 रकबा 0.3675 हैक्टयर, खसरा नम्बर 219 / 4 रकवा 0.8094 हैक्टयर कुल तीन खसरे रकबा 2.1481 हैक्टयर ग्राम गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी में स्थित है। ग्राम गुड़ा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 219 / 4 प्रार्थी की खातेदारी भूमि दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की कृशि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.4452 हैक्टयर एवं अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 216 / 2 रकबा 0.0405 हैक्टयर आई हुई है उक्त दोनो खसरा नम्बर के पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ ग्राम गुडा विश्नोईयान से मोगडा जाने वाली मुख्य सड़क के पश्चात सुरक्षा विभाग की भूमियां आई हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि में पहुंचने हेतु किसी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता वर्तमान में मौजूद नही है, मुख्य डामर सडक जो कि ग्राम गुडा विश्नोईयान से मोगडा जाती है उक्त सड़क से लेकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 219 / 3 एवं अन्य में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है उक्त डामर सडक से प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 220 एवं खसरा नम्बर 216 / 2 के खातेदारो से प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त दोनों खसरों में से प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु 30 फुट का रास्ता कटाण करवा दिया जावें एवं उसके बदले में उचित प्रतिफल राशि ले लेवें लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 8 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से रास्ते के अभाव में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि बंजर भूमि का रूप ले रही है प्रार्थी द्वारा चाहे गये सबसे लघुन्तक एंव निकटतम रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत किया गया है। जिसे A से B मार्क कर 30 फूट चौड़ाई का दर्शा कर उक्त रास्ता उपलब्ध करवाना का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत तामिल प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण को जवाब वास्ते न्यायहित में अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार लूणी को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिस पर कार्यालय तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2024/2357 दिनांक 08.08.2024 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया कि ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 220 व 216 में प्रस्तावित रास्ता A से B मौके पर खसरा नम्बर 220 में 202 फीट लम्बा, खसरा नम्बर 216/2 में 52 फीट लम्बा चौड़ाई में 30 फीट प्रस्तावित है मौके अनुसार रास्ता खसरा नम्बर 220 में रकबा 0.61.19 बीघा तथा खसरा नम्बर 216/2 में से 0.01.16 बीघा बनता है जिसे मौका फर्द में लाल स्याही से बताया गया। इसे रिपोर्ट के संलग्न मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा एवं DLC रिपोर्ट भी पेश की गई। अप्रार्थीगण को जवाब वास्ते न्यायहित में अनेक अवसर दिये गये, परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

एक पक्षीय बहस सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चुंकि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा तहसीलदार लूणी द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट एंव मौका रिपोर्ट अनुसार भी प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुतम एंव निकटतम होना बताया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 219/4 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 220 व 216/2 ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी की कृषि भूमि में से तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द दिनांक 20.07.2024 सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार A से B 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर 220 व 216/2 ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी में से मौका फर्द सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क A से B भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अमल दरामद व तरमीम करे। मौके पर रास्ता कायम कर खुलवाया जावें। उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल की राशि का तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थी को अवगत करवाए प्रार्थी उक्त राशि की चैक अथवा डी. डी. बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें। मौका फर्द दिनांक 20.07.2024 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जाए। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्त हो।

(पुखराज कासौटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी